प्रेस नोट दिनाँक- 14.11.2023

(1). आज दिनाँक 14.11.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शारदीय नवरात्रि के दौरान शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 14.11.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर/लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को **"मिशन शक्ति"** व **''शक्ति दीदी''** के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे- चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है ।

(3). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में थाना पहाड़ी पुलिस ने अन्तर्जनपदीय 02 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर 04 किलो गांजा व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गयी ।

दिनांक 13.11.2023 को उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा विसण्डा तिराहा कस्बा पहाड़ी से वाहन चैकिंग के दौरान मोटरसाइकिल रजि0 नं0 up90 w3031 पर सवार अभियुक्त 1. बरातीलाल पुत्र राममिलन 2. दिलशाद पुत्र शमशेर निवासीगण चौसठ थाना विसण्डा जनपद बांदा को 02-02 किलो अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों को विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 217/ धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया

तथा बरामद मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वे लोग विसण्डा में गांजा की सप्लाई करने जा रहे थे। बरामद शुदा गांजे के कीमत लगभग 01 लाख 20 हजार रुपये है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. बरातीलाल पुत्र राममिलन
2. दिलशाद पुत्र शमशेर निवासीगण चौसठ थाना विसण्डा जनपद बांदा

बरामदगी:-

1. 04 किलो गांजा
2. मोटरसाइकिल रजि0 नं0 up90 w3031

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा थाना पहाड़ी
2. उ0नि0 श्री रविकान्त राय
3. आरक्षी दिलीप कुमार
4. आरक्षी नीलेश कुमार

(4). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में थाना पहाड़ी पुलिस ने ऑपरेशन दृष्टि के क्रम में सीसीटीवी की मदद से 24 घण्टे के अन्दर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 02 चोरों को चोरी 2,46,500 रुपये के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 13.11.2023 को कस्बा पहाड़ी स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन श्री प्रदीप कुमार चौहान पुत्र रंजीत कुमार निवासी रारी थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी कि वह दुकान की बिक्री का पैसा लेकर अपने पहाड़ी स्थित अपने आवास पर जा रहा था तथा शराब के नशे में था तथा नशा ज्यादा के कारण नांदी चौराहा कस्बा पहाड़ी एक दुकान के किनारे पटरी पर बैठ गया जहां से अज्ञात चोरों ने उनका रुपयों से भरा बैग चोरी कर लिया है जिसमें 2,46,500 रुपये थे। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 216/2023 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी द्वारा घटना का त्वरित संज्ञान लेकर उ0नि0 श्री रविकान्त राय एवं उनकी टीम को घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री रविकान्त राय एवं उनकी टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुय ऑपरेशन दृष्टि के क्रम में नांदी चौराहा स्थित भोला कुशवाह की दुकान से लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त नांदी रोड चौराहे पर स्थित भोला की दुकान से अभियुक्त 1. भोला पटेल पुत्र झुल्लू पटेल निवासी जरिहा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 2.पप्पू पुत्र बजरंगी रैकवार निवासी खसरेड़ा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को चोरी के 2,46,500/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। चोरी के रुपये बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. भोला पटेल पुत्र झुल्लू पटेल निवासी जरिहा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट
2. पप्पू पुत्र बजरंगी रैकवार निवासी खसरेड़ा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट

बरामदगी:-

चोरी के 2,46,500/- रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री रविकान्त राय थाना पहाड़ी
2. आरक्षी नरेन्द्र सिंह
3. आरक्षी कृष्ण कुमार यादव

(5). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रविकान्त राय तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 215/2023 धारा 147,323,506,364,452,342 भादवि0 के वांछित अभियुक्त महेश पुत्र जगमोहन यादव निवासी चकजाफर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री रविकान्त राय थाना पहाड़ी
2. आरक्षी कृष्ण कुमार
3. आरक्षी नरेन्द्र सिंह

(6). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी एवं उनकी टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में सम्मिलित 04 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिलों एवं आलाकत्ल बांका व आलाकत्ल टुपट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 11.11.2023 को वादी श्री जयनारायण सिंह पुत्र अलखनारायण सिंह निवासी करही हाल पता लालता रोड थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में सूचना दी कि उनके 22 वर्षीय पुत्र मोहित को 1. शानि 2. रोहित 3. गुड्डू पुत्रगण रामबहादुर 4. राजा पुत्र अज्ञात निवासीगण लालता रोड थाना मऊ जनपद चित्रकूट ने हत्या कर दी है। घटना के सम्बन्ध में थाना मऊ में मु0अ0सं0 267/2023 धारा 302 भादवि0 बनाम शानि,रोहित, गुड्डू व राजा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा घटना का त्वरित संज्ञान लेकर प्रभारी निरीक्षक मऊ को घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। प्रभारी निरीक्षक मऊ एवं उनकी टीम द्वारा घटना में सम्मिलित नामजद अभियुक्त 1. शनि 2. शिव स्वरूप उर्फ रोहित उर्फ खुन्नू पुत्रगण स्व0 रामबहादुर रैदास 3. शिव प्रकाश उर्फ राजा पुत्र स्व0 रामनरेश रैदास तथा विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 4. ओम प्रकाश उर्फ सुग्गन पुत्र स्व0 रामनरेश रैदास निवासीगण ग्राम माधव का पुरवा लालता रोड थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त मोटसाइकिल UP96 J3152 हीरो स्प्लेंडर प्लस व UP96 L8142 हीरो एचएफ डीलक्स तथा आलाकत्ल बांका व आलाकत्ल डुपट्टा बरामद किया गया। विवेचना से घटना प्रकाश में आया कि मृतक मोहित दिनाँक 10.11.2023 को लालता रोड पर अभियुक्त शिवप्रकाश उर्फ राजा उपरोक्त की पुत्री के साथ छेड़छाड़ कर रहा था तथा पुत्री का शोर सुन कर शिवप्रकाश मौके पर पहुंचा एवं घटना से क्षुब्ध होकर अभियुक्त शिवप्रकाश उर्फ राजा ने अपने भाई ओमप्रकाश तथा चचेरे भाई शनि व शिवस्वरुप उर्फ रोहित उर्फ खुन्नू उपरोक्त चारों अभियुक्तों ने मिलकर मोहित को वहीं पर बुरी तरह से मारा-पीटा एवं उसके पश्चात चारों ने मोहित की हत्या की योजना बनायी। ओमप्रकाश एवं शनि ने मोहित को उसकी ही मोटरसाकिल UP96 L8142 हीरो एचएफ डीलक्स पर बैठाकर तथा अभियुक्त शिवप्रकाश उर्फ राजा की मोटरसाइकिल UP96 J3152 हीरो स्प्लेण्डर प्लस पर राजा एवं रोहित चित्रवार ग्राम अन्तर्गत नहर व नदी की क्रासिंग पर गये जहां पर चारों ने मोहित का डुपट्टे से गला घोंटकर एवं उसकी गर्दन पर बांका से वार कर हत्या कर शव को वहीं फेंक कर भाग गये थे। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 201,12बी,323,504.506 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. शनि
2. शिव स्वरूप उर्फ रोहित उर्फ खुन्नू पुत्रगण स्व0 रामबहादुर रैदास
3. शिव प्रकाश उर्फ राजा
4. ओम प्रकाश उर्फ सुग्गन पुत्रगण स्व0 रामनरेश रैदास निवासीगण ग्राम माधव का पुरवा लालता रोड थाना मऊ जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

1. घटना में प्रयुक्त मोटसाइकिल UP96 J3152 हीरो स्प्लेण्डर प्लस तथा UP96 L8142 हीरो एचएफ डीलक्स

2. आलाकत्ल बांका व आलाकत्ल डुपट्टा

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी
2. निरीक्षक अपराध श्री अभय राज सिंह
3. उ0नि0 श्री श्री इंद्रजीत गौतम
4. मुख्य आरक्षी जुबेर अली
5. आरक्षी राहुल पांडेय
6. आरक्षी दीप प्रताप
7. आरक्षी नागेश कुमार
8. आरक्षी राजकुमार